राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 190 मई 2015

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के कठोर उपबंधों के बनने के बाद से बिहार में एसिड हमले के मामले में हुई पहली सजा से एक बहुत कड़ा निरोधक प्रभाव पड़ेगा। यह कानून दिल्ली में 16 दिसम्बर, 2012 को हुए जघन्य सामूहिक बलात्कार के मामले के बाद संशोधित किया गया था। आरोपी को भारी जुर्माने के साथ 10 वर्ष के कारावास की सजा मिली है। एक दूसरे मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऑटो ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा दी है जिसने एक 30 वर्ष की शादी-शुदा महिला को उसके साथ रहने के लिए मना करने पर एसिड पीने के लिए मजबूर किया था। इन सजाओं से ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

पहले, भारतीय दंड संहिता में एसिड हमलों के मामलों से निबटने के लिए कोई विशेष धारा नहीं थी। इसके कारण अपराधियों पर मुकदमा चलाना कठिन था। इसके अतिरिक्त पहले ही अपराधियों को पकड़ना बहुत कठिन होता था क्योंकि वे अपराध की जगह से तुरंत भाग जाते थे। परिणामस्वरूप, ऐसे अपराधों के दिन में होने के बावजूद भी ऐसे मामलों में पर्याप्त सजा नहीं दी जा सकती थी। नए कानून से, जो एसिड हमले के मामले में किसी आरोपी पर धारा 326क और 326ख के अंतर्गत आरोप लगाना अनिवार्य बना देता है जिससे कठोर दंड देना सुनिश्चित

चर्चा में एसिड हमले के नए कानून के अंतर्गत पहली बार सजा

हो, इस संबंध में बहुत मदद मिलेगी। कानून में एक दूसरा सुधार, जिससे इस संदर्भ में सहायता मिली है, उच्चतम न्यायालय का एसिड और ऐसे अन्य संक्षारक तत्वों की बिक्री पर रोक लगाने का निदेश है जिससे अपराधियों के लिए ऐसे एसिड खरीदना कठिन हो जाता है। उच्चतम न्यायालय ने फुटकर विक्रेताओं के लिए यह भी अनिवार्य बना दिया है कि वे एसिड के खरीददारों का रिकॉर्ड रखें जिससे जांच एजेंसियों के लिए अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाए।

इन उपायों से एसिड हमले के पीड़ितों पर भी प्रभाव पड़ता है। पहले, पीड़ितों को शिकायतें दर्ज कराने पर डर लगता था और वे अपने आपको संसार से अलग कर देती थी। अब इस धारणा में परिवर्तन होने से कि हमलावरों को पकड़ा जा सकता है और उन्हें सजा दी जाएगी, अधिक से अधिक संख्या में पीड़ित अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं। केन्द्रीय गृह कार्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में ही 309 एसिड हमलों की रिपोर्ट की गई थी जो वर्ष 2010 और 2013 के बीच दर्ज कुल मामलों की संख्या से अधिक है। इसके अतिरिक्त पीड़ितों और सरकार द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों से एसिड हमले के पीड़ितों की पीड़ा को उजागर करने में मदद मिली है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि निःसहाय पीड़ितों पर, जिनमें अधिकांशतः महिलाएं होती हैं, एसिड फेंकना एक घिनौना और कायराना कार्य है और इसको सख्ती के साथ नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

निर्भया घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा

एक गैर सरकारी संगठन संपूर्ण द्वारा नई दिल्ली में "निर्भया के बाद महिलाओं की सुरक्षा" पर एक वार्ता आयोजित की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों से आई अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने एक साथ भारत में महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने की मांग की।

निर्भया के जन्मदिन पर समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने की। श्रोताओं को संबोधित करती हुई उन्होंने लोगों से लड़कियों को शिक्षित करने की अपील की ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर रूप से सफल हो सकें। संपूर्ण की संस्थापिका सुश्री शोभा विजेन्द्र ने कहा कि भारत में महिलाएं उनके विरुद्ध हुए अपराधों को दर्ज कराने में अभी भी हिचकती है। उन्होंने कहा कि "हमारा गैर-सरकारी संगठन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रशिक्षित करता है, हम उन्हें अपने अधिकारों पर बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरित करते हैं।"

श्रीमती कुमारमंगलम "निर्भया के बाद महिलाओं की सुरक्षा" पर बोलती हुई

आधुनिक महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ

बौद्धिक और विद्ववतजनों के एक ग्रुप ने, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलाकार, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य हैं, नई दिल्ली में "आधुनिक महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ" शीर्षक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।

श्रोताओं को संबोधित करती हुई मुख्य अतिथि श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि महिलाओं को शान्ति सुलह का समर्थक होने के नाते क्षमाप्रार्थी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिलाओं के बीच एक-दूसरे के प्रति आदर और विश्वास की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। सुश्री विमला मेहरा, दिल्ली पुलिस में विशेष आयुक्त ने कहा कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति पुरुषों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं का आत्मविश्वास बनाने में वित्तीय स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

"आधुनिक महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ" के कार्यक्रम पर बोलती हुई अध्यक्षा

इस अवसर पर तिमाही पत्रिका 'तेजस्विनी' जिसमें महिला अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, स्थूलता, घरेलू हिंसा और न्याय से संबंधित विषयों पर लेखों का संग्रह है, के पहले अंक का उद्घाटन किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं को सशक्त बनाना

श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने ईविट (सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं को सशक्त बनाना), जो चेन्नई में एक स्वयंसेवी फोरम है, की नौवीं वर्षगांठ में संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने पुरुष प्रधान समाज की सोच और दृष्टिकोण में क्रमिक परिवर्तन की चर्चा की। पहले बलात्कार करने के आरोप में किसी पुरुष को फांसी पर लटकाने का कोई मामला नहीं आता था परन्तु अब न केवल ऐसे मामलों पर गंभीरता से सुनवाई होती है अपितु ऐसे अपराधों के विरुद्ध कड़ाई के साथ दंड दिया जाता है। उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि आज लड़कियों के पास आवाज है और उन्हें इसे उठाना चाहिए क्योंकि समय बदल गया है और अब उनकी सुनवाई होगी। अब महिलाएं बराबर के अवसर, उचित स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, कौशल विकास, पोषाहार और आर्थिक सशक्तिकरण चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इनफोयस जैसी बड़ी कंपनियों ने यह बात स्वीकार की कि महिलाओं के लिए लचीला समय उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उद्योगों को, जब कभी भी आवश्यकता हो, महिलाओं को अपने छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए लंबी छुट्टी देनी चाहिए। अध्यक्षा ने इस बात को दोहराया कि वित्तीय स्वतंत्रता, विशेषकर मकान का स्वामित्व होने से घरेलू हिंसा के कम होने में मदद मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग इस टिप्पणी का अध्ययन करने और वैज्ञानिक आंकड़े देने के लिए अकादमिक संस्थाओं से बात कर रहा है।

अध्यक्षा (दाहिने) ईविट द्वारा एक पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर

लीक से हटकर

अहमदाबाद जिला कलक्टरी "बालिका बचाओ अभियान" को बढ़ावा देने के लिए *बेटी वन* का सृजन कर रहा है। इस मार्गदर्शी परियोजना में, जो 2020 तक चलेगी, प्रत्येक बालिका के लिए जो अहमदाबाद जिले में सनानद तालुका के शेला गांव में पैदा होगी, एक पौधा लगाया जाएगा। यह पेड़ बालिका के नाम पर होगा जिसके साथ फलक होगा।

जब यह पेड़ बड़ा हो जाएगा तो लकड़ी की बिक्री मूल्य का 67 प्रतिशत अथवा पेड़ के फलों से मिलने वाली आमदनी बालिका के नाम पर खोले गए बैंक एकाउंट में जमा कर दी जाएगी। इससे मिली शेष आय जो 33 प्रतिशत होगी, गांव के विकास में खर्च की जाएगी। यह बालिका की सहायता करने की पहल है जब उसे अपनी शिक्षा और विवाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। शेला गांव में *बेटी वन* प्रत्येक बालिका जो 1 जनवरी, 2011 को अथवा उसके बाद पैदा हुई और 31 दिसम्बर, 2010 तक पैदा हुई बालिकाओं को समर्पित होगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक के लिए एक पेड़ लगाया जाएगा।

लेडी श्री राम कॉलेज का एनुअल डे

अध्यक्षा (बीच में) लेडी श्री राम कॉलेज के समारोह में दीप प्रज्वलित करती हुई

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम नई दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज के एनुअल डे में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलती हुई उन्होंने कहा कि वह अपने आपको भाग्यशाली समझती हैं क्योंकि वह राजनीतिक रूप से जागरूक परिवार से संबंध रखती हैं जिसने महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वह अपने अनुभवों से महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए निडर और हिम्मती बनने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज केवल तभी प्रगति कर सकता है जब महिलाओं को अपनी क्षमता का उपयोग करने की आजादी दी जाती है। इसके साथ उन्होंने महिलाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सभी पुरुषों को महिलाओं के विरुद्ध प्रभुत्व रखने वाला और शोषणकर्ता के रूप में न देखें और कहा कि महिला अधिकार की पुरुष की पिटाई के साथ बराबरी नहीं की जा सकती।

बाद में, अध्यक्षा ने डॉ. मीनाक्षी गोपीनाथ को प्रतिष्ठित भूतपूर्व छात्रा पुरस्कार प्रदान किया जो 26 वर्ष प्रिंसिपल रहने के बाद रिटायर हुई और उन स्टाफ सदस्यों को प्रशंसा पुरस्कार दिए जिन्होंने कॉलेज में 25 वर्ष का सेवाकाल पूरा किया। इसके बाद उन विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए जिन्होंने पढ़ाई में और अन्य क्रियाकलापों में श्रेष्ठता हासिल की है।

मुस्लिम महिलाओं पर विचार-विमर्श

अध्यक्षा (बाएं से दूसरी) मुस्लिम महिलाओं पर विचार-विमर्श के कार्यक्रम में

राष्ट्रीय महिला आयोग ने रामभऊ म्हालगी प्रबोधिनी के साथ मिलकर पुणे में "भारतीय मुस्लिम महिलाओं को मुख्यधारा में लाना : आगे का मार्ग" पर एक दिवसीय विचार-विमर्श का आयोजन किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों की मुस्लिम महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्रोताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा उन मामलों में कम है जहां महिलाओं की उनके अपने नाम पर संपत्ति है। बाद में, उन्होंने परस्पर वार्ता सत्र में प्रतिभागियों के साथ चर्चा की।

यह भारत है!

एक स्तब्धकारी घटना में, जिससे प्रत्येक भारतीय की आत्मा झकझोर जानी चाहिए, एक नाबालिग दलित लड़की की गणेशपुरा गांव की ऊंची जाति की महिलाओं ने इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि लड़की की छाया उनके परिवार के एक गठीले व्यक्ति पर पड़ गई। लड़की के पिता द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, यह समस्या तब हुई जब उसकी लड़की गांव के हैंडपम्प से पानी लाने गई थी और उसकी छाया एक ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ी जब वह वहां से गुजर रहा था।

इस घटना ने उस व्यक्ति के परिवार को इस कदर क्रोधित कर दिया कि परिवार की महिलाओं ने उस लड़की की बुरी तरह पिटाई कर दी और धमकी दी कि यदि वह इस हैंडपम्प पर दुबारा दिखाई दी तो वे उसे मार देंगे। उस परिवार ने पीड़िता के परिवार को पुलिस स्टेशन जाने से रोका परन्तु वे किसी तरह वहां पहुंच गए। वहां आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 506 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

सदस्यों के दौरे

❖ मेघालय महिला राज्य आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर शिलांग में "एकल माता" से संबंधित मुद्दों पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सुश्री थीलिन फानबुह, मेघालय राज्य आयोग की अध्यक्षा, ने कहा कि एकल मातृत्व कभी इच्छा का मामला होता है तो कभी परिस्थितियों के कारण होता है। राज्य में एकल माता की संख्या सबसे अधिक है। ऐसा अनेक सामाजिक समस्याओं के कारण हुआ है जिनमें बड़ी समस्या बेरोजगारी है। मुख्य भाषण देते हुए सुश्री लालडिंगलियानी साइलो, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ने कहा कि एकल माता को जिसमें विधवाएं, तलाकशुदा, पृथक हुई और परित्यक्त पत्नियां शामिल हैं, कलंक का सामना करना पड़ता है और उन्हें वित्तीय कठिनाइयों से गुजरना होता है। इसलिए समय की मांग है कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। सौभाग्य से पूर्वोत्तर में महिलाएं दृढ़ इच्छा शक्ति वाली और शिक्षित होती हैं जो ऐसी समस्याओं से निबट लेती हैं। तथापि, सरकार को कम उम्र में विवाह को न होने देने, एकल माताओं की देखभाल और सुरक्षा देने के लिए समर्थकारी वातावरण पैदा करने, दिन में देखभाल का केन्द्र स्थापित करने, कौशल विकास करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करने, पेंशन स्कीम, परामर्श केन्द्र, प्रशिक्षण संस्थान आदि बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। इस संदर्भ में, सुश्री साइलो ने आगे कहा कि संभवतः एकल माताओं को उनके कल्याण के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों का एक अलग सेट की आवश्यकता है। श्री ए.टी. मोंडल, मेघालय विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ने भी इस अवसर पर भाषण दिया। इस परामर्श सत्र में की गई सिफारिशों को संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाएगा।

सुश्री साइलो राष्ट्रीय परामर्श में बोलती हुई

महत्वपूर्ण निर्णय

● उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता के उपबंध 125 के अंतर्गत जिसमें पत्नियों, बच्चों और मां-बाप को राहत देने का प्रावधान है, अपने पूर्व पतियों से गुजारा भत्ता मांगने की पात्र है।

● हरियाणा के रोहतक में जिला प्राधिकारियों ने लिंग-निर्धारण परीक्षणों के बारे में विशिष्ट सूचना देने वाले निवासियों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है। हाल में हुई बैठक में रोहतक के अतिरिक्त उपायुक्त ने लिंग-निर्धारण परीक्षणों के बारे में सूचना देने के लिए 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि विशेष केन्द्रीय टीमें भी जिले का दौरा करेंगी और कन्या भ्रूण हत्या की बुराई समाप्त करने के लिए फिल्मों और सड़क नाटकों सहित जागरूकता अभियान चलाएगी।

● महाराष्ट्र सरकार ने फैक्टरी अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया है जिसमें महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि पारी में काम करने की अनुमति दी गई है, श्रमिकों के लिए कार्य स्थिति आसान की है और छोटी बातों पर कारखाना मालिकों को तंग करने के लिए इंस्पैक्टरों पर रोक लगाई है।

● दिल्ली पुलिस के विशेष महिला कांस्टेबलों, जिसमें 1205 कांस्टेबल और 142 प्रोबेशनरी सब-इंस्पैक्टर शामिल हैं, को झड़ौदा कलां में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में एक महीने की गहन कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वे राजधानी में महिलाओं का बचाव और रक्षा कर सकें। उनका प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें पुलिस स्टेशनों, रेलवे, मेट्रो रेल, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और पी.सी.आर. यूनिटों में दिल्ली पुलिस के मुख्य कामों में तैनात किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

कोलकाता मे उषा मल्टीपरपज को-ऑपरेटिव बैंक, जिसको पूर्व सेक्स वर्कर्स ने उसी ट्रेड की महिलाओं के लिए बनाया था और चला रही हैं राज्य में प्रमुख सहकारी बैंक घोषित की गई है। इस बैंक को 61वें ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बीक में 2014 के लिए पश्चिम बंगाल में "बेहतर प्रबंधित सहकारी बैंक" का नाम दिया गया है। बैंक ने 98 प्रतिशत की दर पर ऋण वसूल करने का रिकॉर्ड बनाया है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.new.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।